

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 425 / 2013 / बारां.

मैसर्स कटियाल मेडिकल्स, बारां.अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर कोटा.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. एस. राठौड़,
उप—राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09 / 01 / 2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना—पत्र संख्या VAT/Acto I/Baran/ 03-07-2012 को अपास्त किये जाने सम्बन्धी पारित किये गये आदेश दिनांक 26.12.2012 के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—प्रथम, वृत—बारां (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2008—09 के लिये एकतरफा पारित किये गये आदेश दिनांक 14.2.2011 को पारित किया जाकर कुल रूपये 3,32,700/- की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना—पत्र सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 8.2.2012 से स्वीकार किया जाकर पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 34(3) के तहत पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु व्यवहारी को जारी किये गये नोटिस की पालना में अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 15.4.2012 को एकपक्षीय आदेश पारित किया जाकर कुल मांग रूपये 3,78,700/- सृजित की गयी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना—पत्र सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक

26.12.2012 से इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित आदेश दिनांक 15.4.2012 वेट अधिनियम की धारा 34(3) के तहत पारित किये जाने से, इसे पुनः खोलने का क्षेत्राधिकार सक्षम अधिकारी को प्राप्त नहीं है। सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि सक्षम अधिकारी ने अपीलार्थी को वेट अधिनियम की धारा 34 का प्रार्थना—पत्र अस्वीकार कर विधिक भूल की है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी ने एक ही नोटिस जारी किया था। सुनवाई तिथि को व्यवहारी अस्वस्थ होने के कारण टेलीग्राम से सूचित किया था। बाद में कर निर्धारण अधिकारी ने बिना व्यवहारी को सूचित किये ही एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित किया। अपीलार्थी धारा 34 के प्रावधानों के तहत एकतरफा कर निर्धारण आदेश को खुलवाने के लिये अधिकारी है, फिर भी सक्षम अधिकारी ने आवेदन निरस्त कर विधि प्रतिकूल आदेश पारित किया है। अतः अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि व्यवहारी का पूर्व में भी इसी कर निर्धारण वर्ष का कर निर्धारण धारा 34 के तहत खोला गया था। फिर भी अपीलार्थी ने सहयोग नहीं किया। इसलिए पुनः एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। सक्षम अधिकारी पुनः कर निर्धारण खोलने के लिये अधिकृत नहीं हैं। इसलिए आवेदन अस्वीकार कर विधिक आदेश पारित किया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। व्यवहारी का वर्ष 2008—09 का एकतरफा कर निर्धारण पूर्व में सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 8.2.2012 के आदेश से खोला गया था। पुनः कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई दिनांक 9.4.2012 का नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना व्यवहारी बीमार होने के कारण नहीं कर पाया। पत्रावली पर टेलीग्राम की प्रति उपलब्ध है। सुनवाई तिथि को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया गया, बल्कि दिनांक 15.4.2012 को पारित किया गया, जिसकी कोई सूचना व्यवहारी को नहीं दी गयी थी। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना नोटिस जारी किये ही एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित किया है।

विचारणीय प्रश्न यह रहता है कि सक्षम अधिकारी किसी वर्ष विशेष के एकतरफा कर निर्धारण आदेश को पुनः खोलने के पश्चात पुनः एकतरफा पारित आदेश को वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत पुनः खोलने हेतु क्या अधिकारिता नहीं रखते हैं ? वेट अधिनियम की धारा 34 उद्धरित करना समीचीन होगा :—

34. Reopening of *ex parte* assessment. —


- (1) Where an assessment has been made *ex parte* under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27, the Deputy Commissioner (Administration) may, on the application of the dealer made within thirty days of the date of service of the notice of demand in consequence of such assessment along with such fee as may be prescribed, by an order direct the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner as the case may be, to cancel the assessment and proceed to make a fresh assessment in accordance with the provisions of law.
- (2) Before issuing direction under sub-section (1), the Deputy Commissioner (Administration) should be satisfied that the applicant dealer did not receive notice or summons issued to him under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27 or that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summons issued to him for assessment.
- (3) Where the order for cancellation of the assessment under sub-section (1) has been passed, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner as the case may be, shall make fresh assessment within sixty days from the communication of the order passed by the Deputy Commissioner (Administration) under sub-section (1).

प्रावधानानुसार सक्षम अधिकारी को पुनः एकतरफा कर निर्धारण आदेश यदि प्रावधानों के तहत आता है, तो खोलने में किसी प्रकार की बंदिश नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी को बिना सुनवाई का नोटिस जारी किये एकतरफा आदेश पारित किया गया है, जिसे विहित समयावधि में पुनः खोले जाने का आवेदन किया गया है। इसलिए धारा 34 के आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिये था। सक्षम अधिकारी ने आवेदन अस्वीकार कर विधिक भूल की है। अतः सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा व्यवहारी के आवेदन को स्वीकार किया जाता है तथा अपील स्वीकार की जाती है।

कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 15.4.2012 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रावधान में विहित समयावधि में व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें।

अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 17.2.2014 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
०९/०१/१५ सदस्य